राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 22/2020
निर्णय दिनांक :– 30/9/2022

वादी :–
भवरसिंह पुत्र मोडसिंहजी, जाति– राजपूत
निवासी– गुडा दुर्जन, तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. छैलसिंह पुत्र देवीसिंहजी, जाति–राजपूत
निवासी–गुडा दुर्गा, तहसील–मारवाड जंक्शन, जिला–पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), देसूरी(पाली)

वाद बाबत बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री सुरेश दवे अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री हुकमसिंह सोलकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

निर्णय **दिनांक** :– 30/9/2022

1– वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से वाद बाबत बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम गुडा दुर्जन, पटवार हल्का कोट सोलंकियान तहसील देसूरी जिला पाली में खसरा नम्बर 240 रकबा 0.8700 हेक्टर किस्म बा.अ., खसरा नम्बर 241 रकबा 0.9800 हेक्टर किस्म बा.अ. कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.8500 हेक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त सहखातेदारी की कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि आराजियात विद्यमान है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा खातेदारी का एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 2/3 हिस्से पर बहैसियत खातेदार के काबिज है। जो प्रस्तुत जमांबंदी की प्रति से स्पष्टतया प्रमाणित है। जिसे आगे वाद मे वादग्रस्त आराजियात से संबोधित किया गया है।

2– यह है कि वादग्रस्त आराजियात का मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के मध्य आपसी सहमति एवं रजामंदी से दिनांक 17.05.2010 जरिये राजीनामा मौके पर बंटवाडा किया हुआ है। जिससे वादग्रस्त आराजियात पर आज दिन तक वादी का अपने हिस्से पर एवं प्रतिवादी संख्या 01 का अपने हिस्से पर दिनांक 17.05.2010 से कब्जा काश्त एवं उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। पूर्व में श्रीमान के [illegible] में वादी ने वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया था जिसका फैसला हो चुका है।

3– यह कि वादग्रस्त आराजियात [illegible] खातेदारी राजस्व रेकर्ड के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 देह खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की [illegible]त सहखातेदारी की है जिसमें वादी का 1/3 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 वां हिस्सा विद्यमान है। वादी अपने स्वयं के हिस्से खसरा नम्बर 240, 241 कुल रकबा 1.8500 हेक्टर भूमि में 1/3 हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त आराजियात का जरिये राजीनामा लिखित दिनांक 17.05.2010 को

पेज लगातार 02 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

बंटवाडा हो चुका है एवं बंटवाडा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने-अपने हिस्से की कृषि भूमि पर दोनों काबिज है, किन्तु वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा(विभाजन) रिकॉडली नहीं हुआ है।

4- यह है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य संयुक्त काश्त संभव नहीं है एवं चूंकि वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया हुआ नहीं होने से वादी वादग्रस्त आराजियात का विधिक रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवा कर अपने 1/3 वां हिस्सा खसरा नम्बर 240, 241 रकबा 1.8500 हेक्टर की भूमि का अलग करवाना चाहता है, जिसके लिये वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को कई बार कहा गया। राजीनामा में भी रेकर्डली बंटवाडा करने हेतु लिखा गया था। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 आज-कल बताकर टालम-टोली कर रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने बावजूद लिखत रेकर्डली बंटवाडा नहीं करवाया है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी का मौके पर भौतिक रूप से पृथक-पृथक कब्जा काश्त दिनांक 17.05.2010 से लगाय आज तक लगातार शांतिपूर्वक विद्यमान है। वादी एवं प्रतिवादी ने आपसी राजीनामा दिनांक 17.05.2010 के अनुसार अपने-अपने हिस्से में धोरा-पाली लगा कर दी थी। जिस हेतु वादी का यह वाद हस्ब धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत बंटवाडा हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया है।

5- यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 लोगो की सिखावट में आकर वादग्रस्त आरजियात के वादी के हिस्से की आराजियात में वादी के कब्जे काश्त में नाजायज दखलन्दाजी कर वादी के कब्जे काश्त हिस्से की धोरा-पाली हटाकर तारबंदी करने पर आमादा है एवं प्रतिवादी संख्या 01 वादी के बंट की कृषि भूमि में जोर-जबरदस्ती डरा-धमकाकर रात्रि के समय जेसीबी मशीन लेकर वादी के कब्जे काश्त कृषि भूमि में धोरापाली को हटाकर एवं तारबंदी कर वादी के कृषि भूमि को खुर्दबुर्द एवं नुकसान पहुंचा कर आज से 3-4 दिन पहले निकाल दी। वादी को इसकी जानकारी होने पर इसकी सूचना पुलिस थाना खिंवाडा में दी। प्रतिवाद संख्या 1 के जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा नहीं हो जाता, तब तक तारबंदी करने का हक अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के कब्जाकाश्त हिस्से की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 240, 241 में जोर-जबरदस्ती धोरापाली हटाकर तारबंदी करने को कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके परिवार को वादी की कब्जा काश्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 240, 241 के 1/3 वे हिस्से में नाजायज दखलन्दाजी एवं तारबंदी करने से रोका जाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय संगत है। अन्यथा वादी को अकथनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं होगा। अतः वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद हस्ब धारा 188, 88, 92ए आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है।

6- यह कि वादग्रस्त आराजियात का विधिकरूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया हुआ नहीं होने से एवं वादी अपना बंट बंटवाडा कर अलग चाहने पर एवं प्रतिवादी को बार-बार कहने पर भी बंटवाडा हेतु तैयार नहीं होने से एवं वादी के बंट में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तारबंदी कर दखलन्दाजी करने पर आमादा होने [illegible] वाद उत्पन्न हुआ है जो अवधिकाल प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible] स्थित खसरा नम्बर 240 रकबा 0.8700 हेक्टर [illegible] कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल 1.8500 किस्म बारानी अव्वल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स का बंटवाडा कराया जाकर वादी के 1/3 वें हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 240, 241 रकबा 1.8500 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल अलग बंट कर दी जावें एवं राजस्व लगान का भी अलग बंटवाडा करवाया जावें एवं माफिक बंटवाडा के राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग अमलदरामद कर राजस्व नक्शे में

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] किया जावें एवं खाता अलग–अलग किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई [illegible] जारी कर वादी के बंट की आराजियात में किसी प्रकार से दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, [illegible] करने, खुर्द–बुर्द करने से रोके जाने का निवेदन किया।

7– वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री हुकुमसिंह ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल [illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब दावा प्रस्तुत कर अपने जवाब [illegible] में बताया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्य गलत व अपूर्ण होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी की मौके पर संयुक्त कब्जा काश्त नहीं है। वादी के वाद में यह वर्णित नहीं है कि वादी कब से तथा वादग्रस्त आराजी के कौनसे हिस्से पर या किस दिशा की तरफ वादी का पृथक कब्जा है। पूर्व के वादपत्र का फैसला कबज तथा किस प्रकार हुआ यह वर्णित नहीं है। जिससे मजबुरन प्रतिवादी को सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी की भौतिक स्थिति की पूर्व की वास्तविकता, सत्यता स्पष्ट करने हेतु जवाबदावा के साथ नक्शा प्रति संलग्न की है एवं संलग्न नक्शा जवाबदावा का अभिन्न भाग समझा जावे।

8– यह कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 240, 241 कुल रकबा 1.8500 हेक्टर में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा है। वादी ने पूर्व में गलत राजस्व वाद 63/09 का इसी वादग्रस्त आराजी से संबंधित पेश किया था जिस पर वादी का प्रतिवादी के मध्य आपसी समझाईश से बंटवाडा वादग्रस्त आराजी का हुआ। जिसके बाद उक्त राजीनामा का लिखत दिनांक 17.05.2010 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य लिखा गया, तब से जवाबदवा के साथ संलग्न नक्शे में मार्क **ABCD** भाग पर वादी का पृथकत कब्जा तथा मार्क **CDEFGH** पर प्रतिवादी संख्या 1 के उसकी पृथकतः कब्जा बहैसियत खातेदार के विद्यमान है। प्रतिवादी संख्या 1 के उसकी पृथक कब्जा–काश्तसुदा भूमि मार्क **CDEFGH** पर तारबंदी भी की हुई जो मौके पर विद्यमान है। सन् 2010 के राजीनामा लिखत के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की पृथक कब्जा काश्त भूमि को समतल, सुधारात्मक कार्य कर उपजाऊ भी बनाया प्रमाणस्वरूप फोटो संलग्न है।

9– यह कि वादी वं प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से की पृथक–पृथक भुमि पर पृथक–पृथक काबिज है जवाबदावा के साथ संलग्न नक्शा मार्क **CDEFGH** पर प्रतिवादी संख्या 1 का पृथकत कब्जा विद्यमान है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का राजीनामा से बंट हो चुका है जो वादी स्वय की स्वीकारोक्ति है। तो पुनः बंटवाडा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। विधिनुसार एक बार सहमति से बंटवाडा होने पर पुनः बंटवाडा होने या करने का पक्षकारान को अधिकार नहीं है। वादपत्र मे यह तथ्य की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों की संयुक्त काश्त है यह तथ्य वादपत्र में वर्णित पृथक–पृथक काश्त के तथ्यों से भिन्न एवं पूर्णतया विरोधाभास है। सन् 2010 से लगाय आज तक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा तो बाई मिट्स एण्ड [illegible] पुनः बंटवा[illegible] तथ्य गलत है। जिसे यदि श्रीमान न्यायालय प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का प[illegible]करण [illegible] यदि उचित [illegible] तो वास्तविकता अनुसार जवाबदावा के साथ [illegible] व प्रतिवादी का पृथक–पृथक राजस्व रिकॉर्ड पृथक–पृथक कब्जा [illegible] कायम किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादी संख्या 1 को अनावश्यक नुकसान होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested

10– यह गलत है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के हिस्से में दखलन्दाजी की हो तथा यह भी गलत है कि प्रतिवादी ने गलत तारबंदी की हो। प्रतिवादी की उसकी पृथक कब्जा काश्त सुदा भूमि मार्क **CDEFGH** पर तारबंदी, माठ पूर्व में विद्यमान है। वादी ने गलत तथ्य वर्णित किये तथा गलत रिपोर्ट वास्तविकता के विपरित पुलिस थाना खिंवाडा में पेश की थी जिस पर पुलिस थाना खिंवाडा ने मौके पर आकर वादी की रिपोर्ट गलत होने का भी कहा था। वादी ने

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

... गलत–गलत वाद बार–बार पेश कर रहा है। वादपत्र में वर्णित सभी तथ्य गलत ... अस्वीकार है। वादपत्र का वादहेतुक कब, कहा उत्पन्न हुआ, वर्णित नहीं है जिससे वादी ... प्रथमदृष्टया ही निरस्त योग्य है। वादपत्र में वर्णित अनुतोष तथा वादपत्र के अभिवचन ... व विधिविरूद्ध होने से वादी का वाद स्वयय खारिज योग्य है अतः जवाबदावा स्वीकार ... वादी का वाद खारिज फरमावें।

11– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा की प्रति अधिवक्ता ... को दिलवाई गई। पत्रावली वास्ते A/D तनकीयात में नियत की गई। न्यायालय द्वारा ... 08.09.2020 को प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई:–

(1)– आया वादी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 240, 241 में वादी के हिस्से 1/3 का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा कराये जाने का अधिकारी है.....
जिम्मे वादी।

(2)– आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ....
जिम्मे वादी।

(3)– आया वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनाम में बंट हो चुका है अतः पुनः बंटवाडा कराने का अधिकारी वादी को नहीं होने से वादी का वाद खारिज योग्य है ..
जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01

(4)– अनुतोष।

12– पत्रावली शहादत वादी हेतु नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य वादी हेतु समय चाहा गया जो न्यायहित में समय दिया गया। पत्रावली में अधिवक्ता वादी को लम्बे समय तक बार–बार शहादत वादी पेश करने हेतु समय दिये जाने के बावजूद पेश नहीं करने पर अधिवक्ता वादी की शहादत का अवसर बन्द किया गया। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। शहादत प्रतिवादी अनुपस्थित एवं अधिवक्ता प्रतिवादी ने शहादत पेश नहीं करना चाहने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

13– पत्रावली में बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन में हम पाते है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 की संयुक्त आधिपत्य की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का 1/3 वां एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 वां हिस्सा विद्यमान है। उक्त वाद के निर्णयन हेतु न्यायालय द्वारा कायम तनकियात जिसमे तनकी नम्बर 1 व 2 वादी को तथा तनकी नम्बर 3 प्रतिवादी संख्या 01 को साबित करनी थी। परन्तु उक्त वाद में वादी द्वारा तनकी नम्बर 1 व 2 जो वादी के जिम्मे थी वादी द्वारा द्वारा साबित नहीं की गई एवं तनकी नम्बर 3 जो प्रतिवादी संख्या 1 के जिम्मे थी जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ... वाद में अधिक्ता वादी की ओर साक्ष्य, शहादत प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही ... प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर शहदात प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त वाद में अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपनी तनकियात साबित नहीं करने तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों के अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य, शहादत प्रस्तुत नहीं किये जाने से ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में वादी का प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, ~~188, 88~~ आर.टी.एक्ट स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है जो खारिज योग्य है। अतएव

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 05 पर...

प्रपत्र (5) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर पुराना 22/2020 अनवान ...सिंह बनाम छैलसिंह व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 53,92ए,188,88 आर.टी.एक्ट 1955.

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर,
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

(सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी)

निर्णय आज दिनांक 30/9/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण	ब ना म प्रतिवादीगण
भवरसिंह पुत्र मोडसिंहजी, जाति–राजपूत निवासी– गुडा दुर्जन, तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)	1. छैलसिंह पुत्र देवीसिंहजी, जाति–राजपूत निवासी–गुडा दुर्गा, तहसील–मारवाड जंक्शन, जिला–पाली 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), देसूरी(पाली)

दावा बाबत बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :– 22/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादी श्री सुरेश कुमार दवे मुदई वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से हुकुमसिंह सोलंकी मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद में अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपनी तनकियात साबित नहीं करने तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों के अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य, शहादत प्रस्तुत नहीं किये जाने से ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में वादी का प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 88 आर.टी.एक्ट स्वीकार करने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

बसब्त मेरे [illegible] व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 09 सन् 2022 को जारी किया गया।

मोहर

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनता[illegible] ख[illegible]हन फीस कमी[illegible] बाबत [illegible] हुक्म नामा मु[illegible]िक मिजा[illegible]		

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested